

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
तहसील बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 166 / 17
संस्थित दिनांक 20.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

मिहीलाल पिता अमरूलाल यादव, जाति अहीर,
उम्र-20 वर्ष, निवासी ग्राम पोंडी, पेट्रोल पम्प के
पास महाराजपुर जिला मण्डला (म0प्र0)।

.....अभियुक्त।

—:: निर्णय ::—

दिनांक 27.07.2017 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-184, 130(3)/177 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-10.03.2017 को समय 7:00 बजे, कोयलीखापा गढ़ी बैहर में हीरोहोन्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.51/एम.ए.9902 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर फरियादी सुशील को मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर सुशील के दाहिने पैर की पिण्डली एवं अंगूठे में टक्कर मारकर एवं दिलीप कुमार के बायें पैर जांघ में टक्कर मारकर एवं उसके ऊपर के दांत हिलाकर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर सुशील को टक्कर मारकर दांत में चोट मारकर गंभीर उपहति कारित कर, उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया तथा पुलिस अधिकारी द्वारा लायसेंस मांगने पर लायसेंस पेश नहीं किया।

2— प्रकरण में अभियुक्त राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-184 एवं 130(3)/177 राजीनामा योग्य नहीं होने से इन धाराओं में अभियुक्त पर

प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बैहर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजकुमार ठाकुर को अस्पताल में तहरीर प्राप्त होने पर उनके द्वारा विवेचना की गई थी। जिसमें आहत सुशील कुमार का मेडिकल परीक्षण कराकर आहत सुशील कुमार एवं साक्षी दिलीप कुमार भारद्वाज के कथन लेख किये गए, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिनांक-10.03.2017 को रात्रि 7:30 बजे वह अपने घर के सामने रोड किनारे खड़े थे, उसी समय हीरोहोण्डा मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.51/एम.ए-9902 के चालक ने मोटर सायकिल के पीछे दो लोगों को बिठाकर मोटर सायकिल को तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर टक्कर मार दी थी जिससे आहत सुशील को दाहिने पैर की पिण्डली एवं अंगुठा में चोट आयी थी तथा आहत दिलीप कुमार ने बायां पैर की जांघ एवं सामने के उपर के दो दांत हिलना बताया था। पुलिस थाना गढ़ी ने अभियुक्त मिहीलाल के विरुद्ध अपराध क्रमांक-20/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

4- अभियुक्त को निर्णय के पैरा 01 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर पढ़कर सुनाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-10.03.2017 को समय 7:30 बजे, कोयलीखापा गढ़ी बैहर में हीरोहोण्डा मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.51/एम.ए.9902 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर फरियादी सुशील का मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से

चलाया ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर पुलिस अधिकारी द्वारा लायसेंस मांगने पर लायसेंस पेश नहीं किया ?

विवचेना एवं निष्कर्ष.

विचारणीय बिंदु क्रमांक-01 का निराकरण:-

6- सुशील अ.सा.1 का कहना है कि घटना इसी वर्ष की 10 मार्च की रात्रि की है। रात्रि सात बजे की बात है वह उसके घर के सामने खड़ा था तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल आयी थी और उसे पीछे से टक्कर मार दी थी। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में नहीं बताया है कि वाहन कैसे चल रहा था। साक्षी ने मौकानक्शा के बारे में अस्पताल में बताया था जो प्र.पी.01 है। साक्षी से पुलिस ने अस्पताल में एक्सरे रिपोर्ट जप्त की थी जो प्र.पी.02 है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। प्र.पी.01 एवं 02 पर हस्ताक्षर करते समय वह कोरे थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्र.पी.03 को पढ़कर नहीं देखा था एवं पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं बताया था।

7- दिलीप कुमार अ.सा.02 का कहना है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना होली के त्यौहार के एक दो दिन पहले की शाम की छः बजे की ग्राम कोयलीखापा की वार्ड नम्बर 13 की है। एक्सीडेण्ट हुआ था। घटना के समय वह रोड के किनारे उसके घर के सामने खड़ा था। उसे यह पता नहीं है कि एक्सीडेण्ट किसका हुआ था। एक मोटरसाइकिल वाला आया था मोटरसाइकिल कौन चला रहा था साक्षी को पता नहीं है। साक्षी मोटरसाइकिल वाले का नाम नहीं जानता है। मोटरसाइकिल कैसे चल रही थी साक्षी ने नहीं देखा था। एक्सीडेण्ट किसने किया था साक्षी को पता नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न

पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो। सुशील अ.सा.1, दिलीप कुमार अ.सा.2 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा होने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में इस विचारणीय प्रश्न की घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य नहीं करायी है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराये गये साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ग्राम कोयलीखापा गढ़ी बैहर में हीरो होण्डा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.51/एम.ए.-9902 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर मानवन जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिंदु क्रमांक 02 एवं 03 का निराकरण:-

8- प्रकरण में सुशील अ.सा.1, दिलीपकुमार अ.सा.2 ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है। साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना अभियुक्त ने की थी। साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह भी नहीं बताया है कि अभियुक्त ने जप्तशुदा मोटरसाइकिल से घटना कारित की थी। साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल को लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया था एवं पुलिस अधिकारी द्वारा लायसेंस मांगने पर लायसेंस पेश नहीं किया था। घटनास्थल पर अभियुक्त की उपस्थित प्रमाणित नहीं हुई है। प्रकरण में अभिलेख पर आयी हुई साक्ष्य को देखते हुए यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को घटना दिनांक समय, स्थान पर लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाया एवं पुलिस अधिकारी द्वारा लायसेंस मांगने पर पेश नहीं किया था।

9. प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा-184, 130(3)/177 का आरोप को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर

व्हीकल एक्ट की धारा-184 एवं 130(3)/177 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11- अभियुक्त का धारा-428 दं.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 51/एम.ए-9902 का अभियुक्त ने घटना दिनांक के समय का वैध बीमा प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण अनुसंधान अधिकारी प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल का नये नियमों के अनुसार व्ययन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट